GRPI-539-6L-3-92 C.J. (E)

- 1. श्रीमती इमलाबाई उम्र 37 साल पति नेमीचंद जाति पंवार नि. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 2. श्रीमती फगनबाई उर्फ ममताबाई उम्र 33 वर्ष पति महेश पटले नि. रेहंगी जि. बालाघाट
- 3. श्रीमती दिवलाबाई उम्र 31 वर्ष पति जितेन्द्र जाति पंवार नि. परसाटोला जि. बालाघाट......<u>वादीगण</u>

-: ब ना **म**ः-

- 1. श्रीमती विमलाबाई उम्र 39 वर्ष पति मनराखन जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 2. श्रीमती मिथलाबाई उम्र 35 वर्ष पति मोहनलाल जाति पंवार नि. सोनपुरी उकवा तह. बैहर जि. बालाघाट
- 3. श्रीमती फुलवंताबाई उम्र 61 वर्ष पति स्व. साधुराम जाति पंवार नि. रमगढ़ी तह. बिरसा जि. बालाघाट
- 4. श्रीमती कमलाबाई उम्र 51 वर्ष पति स्व. समीलाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 5. श्रीमती अनुपाबाई उम्र 91 वर्ष पति स्व. चैतराम जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाडा जि. बालाघाट
- 6. श्रीमती शांतिबाई उम्र 66 वर्ष पति स्व. चैतराम जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 7. मनराखन उम्र 45 वर्ष पिता हीरालाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 8. भूपेन्द्र कुमार उम्र 32 वर्ष पिता समीलाल जाति पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट
- 9. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट.....<u>प्रतिवादीगण</u>

DECREE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, order XX, Rules 6 and 7)

Civil Suit No.- 18의 / 2014

THE COURT OF- डी.एस. मंडलाोई, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैहर, जिला बालाघाट, म.प्र. श्रीमती विमलाबाई 39 वर्ष पति मनराखन पंवार नि. पोंडी तह. परसवाड़ा जि. बालाघाट वगैरह......**Defendant** Claim for-दावी वास्ते अंश निर्धारण की घोषणार्थ एवं अंशानुसार कब्जा प्राप्ति हेतु तथा संशोधन पंजी क. 11 दिनांक 28.7.1984, 04.4.1995 व ग्राम पंचायत प्रस्ताव दिनांक 15.8.2007 को अवैधानिक एवं प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेत्.

This coming on this day for final disposal before me in the presence of (for the Plaintiff)श्री वाय.आर. चौधरी अधिवक्ता.

(for the defendant) प्रतिवादी क. 1 से 8 द्वारा श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता, प्रतिवादी क. 9 पूर्व से एकपक्षीय.

It is ordered and decreed that उभयपक्ष द्वारा पेश आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. स्वीकार कर, राजीनामा के आधार पर निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है कि :-

- ग्राम पोण्डी रा.नि.मं. परसवाड़ा स्थित खसरा नं. 49/1 रकबा 5.46 डिसमिल भूमि वादीगण को 0.78 डि., 0.78 डि. तथा प्रतिवादी क. 3 फुलवंताबाई को 0.78डि. भूमि रहेगी। पूर्व बंटवारे में मिथलाबाई द्वारा प्रतिवादी क. 1 विमलाबाई को उक्त खसरे की 0.53डि. एवं कमलाबाई द्वारा 0.78डि. भूमि दी गई है और वे इस बंटवारे से सहमत है, इसलिए प्रतिवादी क. 2 मिथलाबाई के नाम से 0.25डि. भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी क. 2 तथा 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि विमलाबाई को दी गई है इसलिए उसके हिस्से में 2.09 एकड़ भूमि प्राप्त होगी। विमलाबाई द्वारा उक्त खसरे नंबर की भूमि में से 0.05डि. भूमि को विकय कर दी गई है इसलिए विमलाबाई के नाम से 2.04एकड़ भूमि रहेगी। उक्त भूमि बैहर—लामता रोड़ एवं बैहर—चिरईडोंगरी से लगकर है, इसलिए बंटवारे में आई कृषि भूमि रोड़ से लगकर सीधा—सींधा विभाजन करेंगे।
- ग्राम पोण्डी रा.नि.मं. परसवाड़ा में से खसरा नं. 191/2 रकबा 0.061हे., खसरा नं. 256/2 रकबा 0.198, खसरा नं. 272/2 रकबा 1.003 एवं खसरा नं. 304/4 रकबा 0.704हे. कुल रकबा 1.966हे./4.95 एकड़ भूमि है जो प्रतिवादी क. 6 शांतिबाई जौजे चैतराम के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज हैं, जिसमें से वादीगण के नाम से 1.00, 1.00 एकड़ तथा प्रतिवादी क. 2 मिथलाबाई के नाम से 1.00 एकड़ भूमि होगी तथा बची हुई शेष भूमि प्रतिवादी क. 6 शांतिबाई के नाम से रहेगी। शांतिबाई अपनी बची हुई उक्त खसरे की शेष बची हुई भूमि को अपनी इच्छानुसार देने स्वतंत्र रहेगी। उक्त बची हुई भूमि पर इसके कोई वारसान अपने हक निर्धारित करेंगे।
- उभयपक्षों का यह अंतिम विभाजन रहेगा। इसके पश्चात उभयपक्ष स्व. चैतराम पिता डोमनसिंह की पैतृक भूमि के विभाजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद व वादपत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क. 1 तथा प्रतिवादी क. 7 अन्य संस्था द्वारा ऋण लिया गया है जिसकी अदायगी प्रतिवादी क. 1 एवं प्रतिवादी क. 7 करेंगे।
- उभयपक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेगें। WILLIAM SI

P.T.O.

and that the sum of Rs. उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय

-plaintiff be paid by the ----defendant

defendant

wuth interest there on at the rate of

percent

per annum from this date of realization

Given under my hand the seal of the Court this 20-9-2014

day of

judge

COSTS OF SUITS

Plaintiff			Defendant		
AN'A I	Rs.	P.		Rs.	P.
1- Stamp for plaint	1700-00				
2- Stamp for application & affidavit	30-00		Stamp for application & affidavit	10-00	
3- Stamp for power			Stamp for power		
4- Stamp for exhibit	\		Stamp for exhibit		
5- Pleader's fee on Rs.प्रमाणपत्र पेश नहीं			Stamp for petitions		
6- Subsistence or witness			Pleader's fee on Rs.प्रमाणपत्र पेश नहीं		
7- Commissioner's fee	\		Subsistence or witness	2	
8- Service of process			Service of process	10	1
			Commissioner's fee		
			85 W		
	1520.00		4	10.00	
Total	1730-00		Total	10-00	
(एक हजार सात	सा पास ४	গ্ৰথ		दस रूपा	{)
			2 6 35		
			A A		
			60 60		
		1	X 3		
	/		100 B		
		2,	CENT .		
	12	de			
<u> </u>	(1	Z,	~		
~	1				
Æ.	Els,				
1	80,				
2					
OTHER PARTY.					